278

संख्या– 95 / XLI-1 / 14–22(प्रशि0) / 2013टीसी

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण विभाग,
उत्तराखण्ड हल्द्वानी(नैनीताल)।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग । देहरादून दिनांक ~~सितम्बर~~ अक्टूबर 17, 2014

विषयः– **राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पिथौरागढ के परिसर में कार्यशाला एवं हेयर एण्ड केयर सेन्टर के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक, सहायक निदेशक, स्टेट प्रोजैक्ट इम्प्लीमैंटेशन यूनिट, ई0सी0रोड, देहरादून के पत्र संख्या–151 / एसपीआईयू / भवन / आंगणन / 2011, दिनाक 15 मार्च 2014, शासनादेश संख्याः 354 / XLI-I / 13–22(प्रशि0) / 2013, दिनाक 24–12–2013 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्व बैंक सहायतित वी0टी0 आई0पी0 योजना के अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पिथौरागढ के परिसर में **कार्यशाला एवं हेयर एण्ड केयर सेन्टर के निर्माण** हेतु संबंधित कार्यदायी उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0, अल्मोड़ा इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गये आंगणनों का तकनीकी परीक्षण कराये जाने के उपरान्त टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत सिविल कार्य हेतु कुल रू0. 30.10लाख तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार कार्यवाही करने हेतु रू0. 4.72लाख अर्थात कुल रू0. 34.82लाख(रूपया चौंतीस लाख बयासी हजार मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति कालम–6 व 7 के अनुसार प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु **कालम–4 में उल्लिखित धनराशि** को व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो / प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं–

(धनराशि लाख रूपये में)

क0 सं0	प्रशिक्षण संस्था का नाम	निर्माण इकाई का नाम	शासनादेश के माध्यम से पूर्व निर्गत धनराशि (ला0रू0में)	निर्माण इकाई द्वारा प्रस्तुत आंगणन की धनराशि (ला0रू0में)	सिविल कार्य हेतु स्वीकृति की धनराशि (ला0रू0में)	अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार स्वीकृति धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	रा0औ0प्र0संस्थान पिथौरागढ	उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम अल्मोडा	30.00	37.00	30.10	4.72
		कुल योग–	30.00	37.00	30.10	4.72

(1). उपरोक्त कार्यों हेतु शासनादेश संख्याः 354 / XLI-I / 13–22(प्रशि0) / 2013, दिनाक 24–12–2013 द्वारा वांछित धनराशि पूर्व में ही स्वीकृति की जा चुकी है। कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितनी राशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। अतः उपरोक्त प्रयोजनार्थ कार्य की वित्तीय एवं

भौतिक प्रगति आख्या सहित एवं अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न कर अवशेष धनराशि का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(2). कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन कराना आवश्यक होगा।

(3). निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पर्वू मानकों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4). कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(5). कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए, तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

(6). वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर कार्यदायी संस्था से एम.ओ.यू. हस्तान्तरित कराया जाना अवश्यक सुनिश्चित किया जायेगा।

(7). एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आंगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाए।

(8). उक्त कार्य के प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुए इन्हें समयबद्ध ढंग से निर्धारित समय सारिणी के अनुसार पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय। विलम्ब के कारण आंगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।

(9). निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए। कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता के संबंध में थर्ड पार्टी चेंकिग की व्यवस्था की जाय जिसके सापेक्ष होने वाला व्यय देय सेन्टेज चार्जेज के सापेक्ष वहन किया जायेगा।

(10). आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(11). मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.06 द्वारा निर्गत ओदशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

2– यह आदेश शासनादेश संख्याः 354/XLI-I/13–22(प्रशि0)/2013, दिनाक 24–12–2013 के कम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनॉक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार एवं वित्तीय सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– राज्य परियोजना निदेशक, एस0पी0आई0यू0, आई0टी0आई0(महिला)परिसर, इसी0सी0 रोड देहरादून।
4– अनुसचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5– संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
6–.वित्त अनुभाग–5/नियोजन विभाग।
7–प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड।
8– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0टोलिया)
उप सचिव।